8h

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक Abhinash Kumar(Regd. No-1240469), S/O-Rameshwar Singh, Vill-Sehuka, Post-Sehuka, Ramgarh, Dist-Kaimur, Pin-821110 द्वारा कार्य प्रमंडल, मोहनियां के अधीन एम0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत आमंत्रित निविदा(टेन्डर आई0डी0—139110) में भाग लिया गया।

उक्त निविदा में संवेदक द्वारा उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न किया गया है। जिसका सत्यापन महाप्रबंधक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 से कराने पर उनके पत्रांक 74 / सामान्य दिनांक 07.04.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण—पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है।

संदर्भित निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण—पत्र समर्पित करने के कारण संवेदक Abhinash Kumar को उक्त निविदा के तकनीकी बीड समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 2217 दिनांक 12.06.2025 द्वारा अयोग्य घोषित करते हुए संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु किये गये अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 8633 दिनांक 07.08.2025 एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संवेदक से कारणपृच्छा की गई।

उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक की पत्नी द्वारा दिनांक 26.08.2025 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए उल्लेख किया गया है कि उनके पति Abhinash Kumar गंभीर रोग से ग्रसित हो जाने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। उनके स्वस्थ होते ही 08—10 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने की बात कही गई।

उक्त समयावधि बीत जाने के बावजूद संवेदक द्वारा आरोप के बिंदु पर अबतक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक Abhinash Kumar(Regd. No-1240469, PAN-FFNPS5396E) द्वारा कार्य प्रमंडल, मोहनियां के अधीन निविदा (टेन्डर आई0डी0—139110) में फर्जी अनुभव प्रमाण—पत्र समर्पित करने संबंधी आरोपों को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या—8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क)(ix) एवं 11(ख)(ii) में विहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 02(दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(Sd/-) 16.09.25

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:—14 / अ0प्र0—14—100 / 2025 10003 / पटना, दिनांक:— 17.9.25

प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / योजना एवं विकास विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Sd/-) 16.09.25

अभियंता प्रमुख

P.T.O.

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–100/2025 10003 /पटना, दिनांकः– 17.9.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.09.25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–100/2025 10003 /पटना, दिनांकः– 17.9.25

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.09.25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–100/2025 10003 /पटना, दिनांकः– 17.9.25

निबंधित

प्रतिलिपिः– Abhinash Kumar(Regd. No-1240469), S/O-Rameshwar Singh,Vill-Sehuka, Post-Sehuka, Ramgarh,Dist-Kaimur, Pin-821110 को सूचनार्थ प्रेषित।

16.09.25

अभियंता प्रमुख